



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239253
CG-DL-E-30092022-239253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670]
No. 670]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 752(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा-निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) के नियम 125 में,-

(क) उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक में, 1 अप्रैल, 2023 से अक्षरों, अंकों और शब्दों "आईएस: 15140-2003 और आईएस: 15139-2002" के स्थान पर अक्षरों, अंकों और शब्दों "आईएस: 15140-2018 और आईएस:15139-2002 (पुनः पुष्टि 2018)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1क) में,-

(i) 1 अप्रैल, 2023 से अक्षरों, अंकों और शब्दों "आईएस: 15140-2003 और आईएस: 15139-2002", दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, अंकों, अक्षरों और शब्दों "आईएस: 15140-2018 और आईएस: 15139-2002 (पुनः पुष्टि 2018)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2023 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के मोटर यानों के लिए सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों के विनिर्देश समय-समय पर संशोधित आईएस:15140-2018 के अनुरूप होंगे:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2023 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में सभी फ्रंट फेसिंग सीटों पर श्री प्वाइंट बेल्ट उपलब्ध कराए जाएंगे:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2022 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट सचेतक समय-समय पर संशोधित आईएस 16694:2018 के अनुरूप लगे होंगे।",

(ग) उप-नियम (9) में,-

(i) अंकों, अक्षरों और शब्दों "एआईएस-145-2017" के स्थान पर "एआईएस-145-2018" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2023 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहन एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी फ्रंट फेसिंग सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट सचेतक की आवश्यकता को पूरा करेंगे।",

(घ) नियम (10) में, अंकों और अक्षरों तथा "एआईएस-145-2017" के स्थान पर "एआईएस-145-2018" अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमावली के नियम 125ज के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में, 1 अप्रैल, 2023 से शब्दों और अंकों "भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है ऐसे समय तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस- 140:2016" के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, अक्षर, अंक और शब्द "समय-समय पर यथासंशोधित आईएस: 16833-2018" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं.आरटी-11036/15/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ), दिनांक.....द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 752(E).—The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 125,—

(a) in sub-rule (1), in the second proviso, for the letters, figures and word “IS: 15140-2003 and IS: 15139-2002”, the letters, figures and words “IS: 15140-2018 and IS: 15139-2002 (reaffirmed 2018)” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2023;

(b) in sub-rule (1A),—

(i) for the letters, figures and words “IS: 15140-2003 and IS: 15139-2002”, at both the places where they occur, the figures, letters and words “IS: 15140-2018 and IS: 15139-2002 (reaffirmed 2018)” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2023;

(ii) after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided also that for motor vehicles of category M1 manufactured on and after 1st day of April, 2023, the specifications of Safety Belt Assemblies shall conform to IS:15140-2018, as amended from time-to-time:

Provided also that all front facing seats in vehicles of M1 category manufactured on and after 1st day of April, 2023 shall be provided with three-point belt:

Provided also that the installation of Safety Belts, Restraint Systems and Safety Belt reminder on vehicles of M1 category manufactured on and after 1st day of April, 2023 shall conform to IS16694:2018 as amended from time-to-time.”;

(c) in sub-rule (9),—

(i) for the figures, letters and words “AIS-145-2017”, the figures, letters and words “AIS-145-2018” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (9), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the vehicles of the category M1, manufactured on and after the 1st April 2023, shall meet the requirement of Safety Belt reminder for all front facing seats as per AIS-145-2018.”;

(d) in rule (10), for the figures and letters and “AIS-145-2017”, the figures and letters “AIS-145-2018” shall be substituted.

3. In rule 125 H of the said rules, in sub-rule (2) and in sub-rule (3), for the words and figures "AIS-140:2016, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of India Standards Act, 1986 (63 of 1986)" at both the places where they occur, the letters, figures and words "IS:16833-2018, as amended from time-to-time" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2023.

[No. RT- 11036/15/2022-MVL]
MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. _____(E), dated _____.